



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238966
CG-DL-E-21092022-238966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4225]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2022/भाद्र 30, 1944

No. 4225]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2022/BHADRA 30, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2022

का.आ. 4409(अ).—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री राजकिरण राय जी के स्थान पर श्री एम. वी. राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 9/1/2022-आईएफ-1]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2022

S.O. 4409(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (ii) of Clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the Export Import Bank of India Act, 1981 (No. 28 of 1981), the Central Government hereby nominates Shri M. V. Rao, MD & CEO, Central Bank of India, as Director on the Board of Export Import Bank of India (Exim Bank) vice Shri Rajkiran Rai G with immediate effect and until further orders.

[F. No. 9/1/2022-IF-1]

LALIT KUMAR, Economic Adviser